

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 299 सन 2018

अनवान :-

1. नन्दराम पुत्र फुलाराम जाति नायक निवासी उदासर बडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजरव नोहर।

असल प्रतिवादी

2. चान्दन पुत्री फुलाराम जाति नायक निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।
3. ईशर पुत्र फुलाराम जाति नायक निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 3-12-21

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 14/14 के खसरा न० 113/1 की 40.10 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम नन्दा पुत्र फुलाराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम नन्दराम पुत्र फुलाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम नन्दराम पुत्र फुलाराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम नन्दराम पुत्र फुलाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नन्दा पुत्र फुलाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर नन्दा पुत्र फुलाराम के स्थान पर नन्दराम पुत्र फुलाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरस्तारण फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान कैंप कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 14/14 के खसरा न० 113/1 की 40.10 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम नन्दा पुत्र फुलाराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम नन्दराम पुत्र फुलाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम नन्दराम पुत्र फुलाराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम नन्दराम पुत्र फुलाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नन्दा पुत्र फुलाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 14/14 के खसरा न0 113/1 की 40.10 बीघा भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम नन्दा पुत्र फुलाराम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय नन्दराम पुत्र फुलाराम के स्थान पर नन्दा पुत्र फुलाराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम नन्दराम पुत्र फुलाराम दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम नन्दराम पुत्र फुलाराम होना प्रतित होता है एवं मजमे आम में वादी के नाम की तस्दीक किया गया है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत पाण्डुसर एव मजमे आम की तस्दीकी तथा पेरोकार राज की अभिशषा के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 14/14 के खसरा न0 113/1 की 40.10 बीघा भूमि में वादी का नाम नन्दा पुत्र फुलाराम अंकित है के स्थान पर नन्दराम उर्फ नन्दा पुत्र फुलाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिराल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्त दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
कैम्प कोर्ट.....पाण्डुसर.

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुषी श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. नन्दराम पुत्र फुलाराम जाति नायक निवासी उदासर बडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

अराल प्रतिवादी

2. चान्दन पुत्री फुलाराम जाति नायक निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।
3. ईशर पुत्र फुलाराम जाति नायक निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 299 सन 2018 निर्णय दिनांक-03.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड

अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 14/14 के खसरा न0 113/1 की 40.10 बीघा भूमि में वादी का नाम नन्दा पुत्र फुलाराम अंकित है के स्थान पर नन्दराम उर्फ नन्दा पुत्र फुलाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.12.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
केम्प कोर्ट.....पाण्डुसर...